

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 22 (A) 337 / MPS / 31 / ८३७
प्रति,

प्रमुख अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक २५/०४/२०१७

विषय:- शिवपुरी जिले की लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति।

—00—

मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 11 अप्रैल 2017 में शिवपुरी जिले की लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद द्वारा लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना सैच्य क्षेत्र 90,000 हेक्टर (रबी) हेतु राशि रूपये 2208.03 करोड (रूपये बाइस अरब आठ करोड़ तीन लाख) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. परियोजना पर व्यय मांग संख्या 23/4700 (मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. यह परियोजना केन बेतवा लिंक (राष्ट्रीय परियोजना) में सम्मिलित है। अतः सभी अभीष्ठ औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

१९४२/२५/१८
(व्ही.एस. टेकाम)

उप सचिव,

म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग

पृ. क्रमांक 22 (A) 337 / MPS / 31 / ८३८

भोपाल, दिनांक २५/०४/२०१७

प्रतिलिपि:-

- (1) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- (2) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्रालय, भोपाल।
- (3) मुख्य अभियन्ता (बोधी) जल संसाधन विभाग, भोपाल।
- (4) मुख्य अभियन्ता, राजघाट परियोजना, जल संसाधन विभाग, दतिया।
- (5) अधीक्षण यंत्री, राजघाट नहर मण्डल, झौंसी (उ.प्र.)
- (6) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वृहद परियोजना नियंत्रण मण्डल, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
- (7) कार्यपालन यंत्री, राजघाट वाई तट नहर संभाग, खनियाधाना (शिवपुरी)।
- (8) निज सचिव, मा. मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
- (9) बैव मैनेजर, कार्यालय परियोजना संचालक, पाइकू जल संसाधन विभाग, भोपाल को आदेश विभागीय वेबसाईट पर दर्ज करने हेतु।

१९४२/२५/१८
उप सचिव,

म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग

४८